24.12.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप0। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया । तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलम्ब निहित नहीं है तथा विलम्ब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः विलम्बकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा नो इरट्रेक्शन पीलीड किया गया। तथा पत्रावली अपीलाण्ट को अदालती नोटिस हेतु नियत की गयी। तथा न्यायालय के हाजा के आदेश दिनांक 09.07.2025 द्वारा अपीलाण्ट का रजिस्टर्ड डाक पता अंकित नही होने के आधार पर अपील अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज की गयी। चूंकि प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं हुआ है। तथा अपीलाण्ट को विधिवत् सूचित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 09.07.2025 को अपास्त करते हुए मूल अपील विचारणार्थ पुनः ग्रहण की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न की जावें। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner